भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3229
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

3229. श्री दिलीप शइकीयाः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बिद्युत वरन महतोः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री खगेन मुर्मुः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री अरुण गोविलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में इंजीनियरों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है;
(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;
(ग) क्या उक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विस्तारित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा देशभर में, विशेषकर मध्य प्रदेश में इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(घ) क्या सरकार छत्तीसगढ़ में भूजल निष्कर्षण के लिए कोई नियम तैयार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का ग्रामीण जलापूर्ति में बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति प्रबंधन में शामिल सभी इंजीनियरों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए राष्ट्रव्यापी मांग-पक्ष जल प्रबंधन रूपरेखा पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-निवास)

(जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान) ने पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में 24 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक "ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और प्रबंधन" पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। पाठ्यक्रम ने सिस्टम अक्षमताओं, गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू), ऊर्जा खपत और अपर्याप्त सामुदायिक जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ इंजीनियरों को लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया।

(ग): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंजीनियरों सहित हितधारकों की क्षमता निर्माण, जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नेतृत्व विकास और हितधारकों को नवीनतम तकनीकों और नवाचारों के बारे में ज्ञान सहित आवश्यक तकनीकी और पारस्परिक कौशल से लैस करने में मदद करता है। यह विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क्षमता निर्माण और आईईसी गतिविधियों सहित सहायक कार्यकलापों के लिए संसाधनों के 5% तक का उपयोग कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अनुकूलित और व्यवस्थित कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के तहत किए गए विकास को आगे बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर के इंजीनियरों के बुनियादी प्रशिक्षण को और बेहतर बनाना आवश्यक है।

(घ): वर्तमान में, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.09.2020 की अधिसूचना (एसओ 3289) और दिनांक 29.03.2023 के संशोधनों (एसओ 1509) के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहित 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल का विनियमन कर रहा है।

(ङ): वर्तमान में, ग्रामीण जल आपूर्ति में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए जल आपूर्ति प्रबंधन में लगे सभी इंजीनियरों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(च): जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में भूजल/जल के मांग पक्ष प्रबंधन और इसके इष्टतम उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं।

- 100 केएलडी (1 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक) से अधिक भूजल निकालने वाली औद्योगिक परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से द्विवार्षिक जल लेखा परीक्षा करनी होगी और उन्नत प्रौद्योगिकियों, पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के माध्यम से पानी के उपयोग को कम करने का प्रयास करना होगा।
- परियोजना प्रस्तावकों को केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भूजल निकासी/पुनरुद्धार प्रभारों का भुगतान करना होता है। भूजल निष्कर्षण

के लिए प्रभार लगाने से परियोजना प्रस्तावकों को कचरे के पुनर्चक्रण/पुन उपयोग/अपव्यय से जल के उपयोग को इष्टतम बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

- 20 केएलडी या उससे अधिक भूजल निकालने वाली अवसंरचना परियोजनाओं को एसटीपी स्थापित करने और ग्रीनबेल्ट विकास/कारों की धुलाई आदि के लिए उपचारित जल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
- सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों में यह शर्त शामिल है कि जहां संभव हो, ग्रीनबेल्ट (बागवानी) के लिए जल की आवश्यकता को पुनर्चक्रित/शोधित अपशिष्ट जल से पूरा किया जाएगा।
- हालांकि कृषि गतिविधियों के लिए भूजल निष्कर्षण को भूजल विनियमन से छूट दी गई है, दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देते हैं कि वे किसानों के लिए अपनी मुफ्त/रियायती बिजली नीति की समीक्षा करें, उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति लाएं और भूजल पर अतिनिर्भरता को कम करने के लिए फसल चक्रण/विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में आगे काम करें।

****